स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस मंत्रालय में काम करने वाले चपरासियों, क्लर्कों, आशुलिपिकों आदि को फरवरी, 1966 तक का समयोपरि भत्ता दिया जा चुका है । यह भत्ता कोई निश्चित भत्ता नहीं है और सम्बन्धित व्यक्ति के महीने भर में किये गये समयोपरि कार्य की मात्रा पर ही इसकी रकम निर्भर करती है अतः इस प्रकार का भुगतान सदैव अवशिष्ट के रूप में किया जाता है उदाहरण के लिये मार्च, 1966 के क्लेमों का भुगतान जिन्हें अप्रैल, 1966 में पेश किया गया था वास्तव में मई, 1966 में जब सब क्लेम प्राप्त हो जायेंगे और उनकी जांच की जा चुकेगी तभी किया जायेगा । तदनुसार मार्च और अप्रैल, 1966 के क्लेमों का भुगतान मई और जून 1966 में किया जायेगा ।

पिछले महीनों के क्लेमों के भुगतान करने में कुछ विलम्ब हो गया था क्योंकि सितम्बर 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष छिड़ जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्टाफ के सभी सदस्यों से राष्ट्रीय हित में स्वेच्छा से समयोपरि भत्ता छोड़ देने की अपील की थी जिसके अनुसार सितम्बर और अक्तूबर 1965 के महीनों का कोई क्लेम प्राप्त नहीं हुआ किन्तु दिसम्बर 1965 में स्टाफ ने इन महीनों के क्लेम भी भेज दिये ।

यात्रा भत्ते के अतिरिक्त अफसरों को मिलने वाले सभी भत्ते निश्चित भत्ते हैं जो वे अपने वेतन के बिलों के साथ ले लेते हैं । अराजपत्रित कर्मचारियों को भी उनको मिलने वाले सभी निश्चित भत्ते तथा उनका वेतन हर महीने नियमित रूप से दिया गया है ।

हरिजन कल्याण केन्द्र, करनाल

5470. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या शिक्षा, तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि हरिजन कल्याण केन्द्र, करनाल (पंजाब) ने हरिजनों के लिये कुओं के लिये कई वर्षों से सहायता तक नहीं दी गई है ; और

(ख) क्या कारण है कि उन्हें उद्योगों के लिये ऋण प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर यह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Loan Agreement signed with U.S.A.

5471. **Shri P. C. Borooah:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the agreement for U.S. grants and loans to India totalling Rs. 77.9 crores have been recently signed between the two countries;

(b) if so, the terms of the agreement and

(c) the projects to be financed or imports to be made therewith?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) The funds made available are out of the rupee funds accruing to the U.S. Govt. from the sale of agricultural commodities to India under PL 4 the total amount made available, Rs. 60.2 crores will come as grants. The rest will be loans repayable in 40 years. The interest rate will be 4 per cent in respect of a sum of Rs. 11.3 crores and 3¼ per cent in respect of the balance of Rs. 6.4 crores.